

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION



एडीजीसी श्री विवेक कुमार
सिंह



पैरोकार हे० का०
उबैदुर्रहमान

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप व्यपहरण के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा ०५ वर्ष के कठोर कारावास एवं १०,००० रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा के द्वारा दिनांक 12.09.2020 की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने पर मु०अ०सं० २२८/२०२० धारा ३६३/३६६/३७६ भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट एवं ३(२)५ एससी/एसटी एक्ट थाना मुंशीगंज पर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 14.11.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे-१२ सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को धारा ३६६ भादवि में ०५ वर्ष के कठोर कारावास तथा १०,००० रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को ०५ वर्ष के कठोर कारावास।
- अभियुक्त को १०,०००/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर २ माह अतिरिक्त कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

१. अजय शाह पुत्र रामबाबू निवासी कोरवा गेट नं० २ थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी